**न्यायालयः: अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, बदायूँ**
**पीठासीन अधिकारीः: अभिषेक कुमार–III (उ०प्र० न्यायिक सेवा)JO Code : UP 3780**

**आपराधिक वाद संख्याः3867/2024**

**उत्तर प्रदेश राज्य**

**... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ...अभियोजन।**

**प्रति**

**1- बादाम सिंह पुत्र रामफल।**
**2- मोहरपाल पुत्र शैतान।**
**3- कर्रू पुत्र शैतान।**
**4- संजू पुत्र सुल्तान।**
**उपरोक्त समस्त निवासीगण-ग्राम मदारपुर, थाना-जरीफनगर, जिला-बदायूँ।**

**... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... .अभियुक्तगण।**

अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या-**0167/2024**
**अन्तर्गत धारा- 323, 324, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता**
थाना जरीफनगर, जिला बदायूँ।

**उ०प्र० राज्य अधिवक्ताः अभियोजन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सिंघल।**
**अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ताः श्री नरोत्तम सिंह यादव।**

प्रस्तुतीकरण दिनाँकः 04.12.2024
पंजीकरण दिनाँकः 04.12.2024
निर्णय दिनाँकः 18.03.2026

## निर्णय

**1-** प्रस्तुत वाद अभियुक्तगण **बादाम सिंह पुत्र रामफल, मोहरपाल पुत्र शैतान, कर्रू पुत्र शैतान तथा संजू पुत्र सुल्तान समस्त निवासीगण-ग्राम मदारपुर, थाना-जरीफनगर, जिला-बदायूँ** के विरूद्ध थाना जरीफनगर पुलिस जिला बदायूँ द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या-0167/2024 धारा- 323, 324, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाकर विचारण हेतु न्यायालय में संस्थित किया गया है।

**2-** संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 09.05.2024 को समय करीब 07.00 बजे प्रार्थी के घर में चिनाई का कार्य चल रहा है। प्रार्थी ईंटे भिगो रहा था। प्रार्थी का भतीजा राजवीर पुत्र भारत सिंह भी बहीं था तथा प्रार्थी के गांव के ही बादाम सिंह पुत्र रामफल व मोहरपाल, कर्रू पुत्रगण शैतान व संजू पुत्र सुल्तान ने किसी पिछले विवाद के चलते प्रार्थी व प्रार्थी के भतीजे के साथ गाली गलौज करने लगे। प्रार्थी ने मना किया तो उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी व प्रार्थी के सिर में खुली चोट, प्रार्थी के भतीजे के शरीर में गुम चोट आई। उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

**3-** वादी मुकदमा की उक्त लिखित सूचना के आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु०अ०सं०- **0167/2024 अन्तर्गत धारा- 323, 324, 452, 504, 506** भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गयी। चुटैल का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पश्चात विवेचक द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना में घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया। वादी, चुटैल व गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने व मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात विवेचक द्वारा मु0अ0सं0-**उपरोक्त** में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- **323, 324, 452, 504,**

**506** भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2024 को मामले का संज्ञान लिया गया।

**4-** अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। उन्होंने अपनी जमानतें कराई। अभियुक्तगण को धारा-207 दं०प्र०सं० के तहत अभियोजन प्रपत्रों की नकलें दिये जाने के पश्चात् अभियुक्तगण **उपरोक्त** के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनाँक 30.10.2025 को आरोप अन्तर्गत धारा **323, 324, 452, 504, 506** भा0दं0सं0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

**5-** अभियोजन की ओर से **साक्षीगण पी0डब्ल्यू0-1 के रूप में सोनपाल पुत्र प्रेमपाल, पी0डब्ल्यू0-2 के रूप में भारत पुत्र प्रेमपाल, पी0डब्ल्यू0-3 के रूप में राजवीर पुत्र भारत सिंह** को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के औपचारिक निष्पादन को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया।

**6-** अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनाँकित 23.02.2026 अंकित किये गये। जिसमें उन्होंने अभियोजन घटना को झूंठा बताया तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

**7-** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

**8-** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि चूंकि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

**9-** विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजन की ओर से तीन साक्षीगण को परीक्षित कराया है एवं अभियोजन के केस को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि परीक्षित साक्षी के साक्ष्य की गुणवत्ता को देखा जाना चाहिए। वर्तमान परिवेश में पीड़ित पक्ष ही अपना पक्ष रखने का साहस कर पाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही साक्षी अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये पर्याप्त है तो अन्य साक्षियों को परीक्षित कराने से मात्र तथ्यों का दोहराव ही होगा।

**10-** **पी0डब्ल्यू0-1** साक्षी वादी मुकदमा **सोनपाल पुत्र प्रेमपाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 09.05.2024 को सुबह करीब सात बजे जब उसके घर में चिनाई का काम चल रहा था तभी वहां मुल्जिमान बादाम सिंह, मोहरपाल, कर्रू तथा संजू ने आकर उसके भतीजे राजवीर के साथ गाली गलौज तथा मारपीट की। घटना के संबंध में उसने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी। तहरीर कागज संख्या 4क/4 पत्रावली में संलग्न है। जिस पर अपने हस्ताक्षर तस्दीक करता है तथा प्रदर्श क1 डाला गया।

**11-** **इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी।** दौरान जिरह साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा के विल्कुल व्यतिरेक कथन करते हुआ कहा है कि उपरोक्त सभी मुल्जिमान उसके पड़ोस के है। घटना वाले दिन इनके साथ पुरानी किसी बात को लेकर केवल कहा सुनी हुई थी। शोर शरावा होने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी। भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण उसके कुछ चोटे आ गयी। जिनका मेडिकल दहगवां अस्पताल में कराया। उपरोक्त मुल्जिमान ने उसके घर में घुसकर उसके साथ व उसके भतीजे के साथ मारपीट या गाली गलौज नहीं और न ही जान से मारने की धमकी दी। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**12-** **पी०डब्ल्यू०-2** साक्षी **भारत पुत्र प्रेमपाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब डेढ़ साल पहले उसके भाई सोनपाल के साथ मुल्जिमान बादाम सिंह, मोहरपाल, कर्रू तथा संजू के साथ कुछ कहा सुनी हो गयी। शोर शरावा सुनकर न लोगों ने जाकर बीच बचाव करा दिया। उसके सामने उपरोक्त मुल्जिमान ने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**13-** साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने अपने बयान 161 दं०प्र०सं० के साथ अन्य तथ्यों से भी इन्कार किया।

**14-** **पी0डब्ल्यू0-3** साक्षी **राजवीर पुत्र भारत सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब दो साल पहले मुल्जिमान बादाम सिंह, मोहरपाल, कर्रू तथा संजू की उसके चाचा सोनपाल के साथ कुछ कहा सुनी हो गी थी। शोर शरावा सुनकर उन लोगों ने जाकर बीच बचाव करा दिया। उपरोक्त मुल्जिमान ने उसके साथ या सोनपाल के साथ घर में घुसकर मारपीट या गाली गलौज नहीं की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

**15-** साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने अपने बयान 161 दं०प्र०सं० के साथ अन्य तथ्यों से भी इन्कार किया।

**16-** प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-1 **सोनपाल पुत्र प्रेमपाल** जो कि वादी मुकदमा है द्वारा; अपनी मुख्य परीक्षा अभियोजन कथानक का समर्थन किया है जबकि प्रतिपरीक्षा में मुख्य परीक्षा के विल्कुल व्यतिरेक कथन करते हुए कहा गया है कि उपरोक्त मुल्जिमान ने उसके घर में घुसकर उसके साथ व उसके भतीजे के साथ मारपीट या गाली गलौज नहीं और न ही जान से मारने की धमकी दी। पी०डब्ल्यू०-2 **भारत पुत्र प्रेमपाल तथा** पी०डब्ल्यू०-3 **राजवीर पुत्र भारत सिंह** द्वारा; अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है; जिससे अभियोजन कथानक की सम्पुष्टि होती हो। अतः साक्षीगण को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण से अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित करना साबित नहीं होता है तथा सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध हो जाती है।

**17-** The burden of proof is defined under Section 101 of the Indian Evidence Act:- “Anyone who wants a court to rule on a legal right or liabilty based on facts he claims must first show that such facts exist. The second Part of the Section specifies that when a person is required to show the existence of a fact, that person shall also bear the burden of proof. As a result, a person seeking a favourable decision from the court must provide evidence in support of his case, according to the provision. The usual rule is that the party that asserts a truth bears the burden of proof, not the side that denies it.

**18-** In criminal trials, the prosecution bears the duty of establishing the accused's guilt, and they must do it beyond a reasonable doubt. The plaintiff has the burden of proving his case by a majority of the evidence in civil cases. But If the prosecution fails to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt, the accused is entitled to an acquittal.

**19-** यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार किये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को अन्यथा साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

**20-** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सुप्रसिद्ध विधिव्यवस्था **Nallapati Sivaiah Vs Sub Divisional Officer, Guntur AIR 2008 SC 19.** **में अवधारित किया गया है कि -:** The onus and duty to prove the case against the accused was upon the prosecution and the prosecution must establish the charge beyond reasonable doubt. It is

also a cardinal principle of criminal jurisprudence that if there is a reasonable doubt with regard to the guilt of the accused then he is enti-tled to benefit of doubt resulting in acquittal of the accused.

**21-** उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

**22-** अभियुक्तगण **बादाम सिंह पुत्र रामफल, मोहरपाल पुत्र शैतान, कर्रू पुत्र शैतान तथा संजू पुत्र सुल्तान समस्त निवासीगण-ग्राम मदारपुर, थाना-जरीफनगर, जिला-बदायूँ** के विरूद्ध थाना जरीफनगर पुलिस जिला बदायूँ द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या-0167/2024 धारा- 323, 324, 452, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है, उनके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं, जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

**23- अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437-ए-(1) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकन 25,000/- रू0 का निजी बंध-पत्र तथा इसी धनराशि का एक** प्रतिभू दाखिल करें, जो आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगें।

Date : 18-03-2026

(अभिषेक कुमार-III)
**अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**सहसवान जनपद बदायूँ**
J.O.CODE.UP3780

**24-** उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

Date : 18-03-2026

(अभिषेक कुमार-III)
**अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**सहसवान जनपद बदायूँ**
J.O.CODE.UP3780